अध्याय 5: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

5.1.1 कर प्रबंध

5.1.1.1 यात्री एवं माल कर

मोटर वाहनों का पंजीकरण, यात्री एवं माल कर (पी.जी.टी.) का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण, हरियाणा राज्य में यथा लागू, पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952 (पी.पी.जी.टी. अधिनियम) के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शासित होते हैं। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया हैं। विभाग का समग्र प्रभार आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.), हरियाणा, चंडीगढ़ के पास निहित है। पी.जी.टी. के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित कार्य फील्ड में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (डी.ई.टी.सीज) के अधीन सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज) द्वारा किया जाता है। माल तथा यात्रियों को ले जाने वाले सभी मोटर वाहन संबंधित जिले, जिसमें वाहनों के मालिक का आवास अथवा व्यापार का स्थल है जहां राज्य में वाहन सामान्यत: रखे जाते हैं, के ए.ई.टी.ओ. के पास पंजीकृत करवाए जाने अपेक्षित हैं।

5.1.1.2 वाहनों पर कर

मोटर वाहनों का पंजीकरण, यात्री एवं माल ढोने के लिए परिवहन वाहनों को चलाने हेतु परमिटों का निर्गम/ड्राईविंग/कण्डक्टर लाईसैंसों का निर्गम, टोकन कर, परमिट फीस, लाईसैंस फीस इत्यादि के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एम.वी. अधिनियम), केन्द्रीय वाहन नियम, 1989, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993, पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 (पी.एम.वी.टी. अधिनियम), हरियाणा राज्य में यथा लागू, और पंजाब मोटर वाहन कराधान नियम, 1925 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होते हैं। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया है तथा राज्य में एम.वी. अधिनियम/नियमों के प्रबंध हेतु उत्तरदायी है और परिवहन आयुक्त, जो विभाग के कार्यचालन पर सामान्य अधीक्षण करता है, द्वारा सहायता प्राप्त है। गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग 57 उप-मंडल कार्यालयों (सिविल) द्वारा किया जा रहा है जबकि परिवहन वाहनों के संबंध में आर.एल.ए. की शक्तियों का प्रयोग 21 सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.एज) द्वारा किया जा रहा है।

5.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2012-13 के दौरान वाहनों पर करों, माल एवं यात्री पर करों तथा अन्य कर प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व से संबंधित परिवहन, आबकारी एवं कराधान विभागों के कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना-जांच ने 4,816 मामलों में ₹ 9.53 करोड़ की राशि के कर/शुल्क, फीस तथा पेनल्टी इत्यादि की अवसूली/कम वसूली प्रकट की जो मोटे तौर पर **तालिका 5.1** में श्रेणियों के अंतर्गत उल्लिखित हैं।

तालिका 5.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
क: परिवहन विभाग (वाहनों पर कर)			
1	**मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा**	**01**	**1.33**
2	बोली धन की अवसूली	27	0.77
3	स्टेज कैरिज बसों/कंबाइन हारवेस्टर्ज इत्यादि के संबंध में टोकन/रोड़ टैक्स की अवसूली/कम वसूली	224	0.29
4	भारी/हल्के परिवहन वाहनों के मालिकों से परमिट/काउंटर सिग्नेचर फीस की कम वसूली	299	0.17
5	प्राइवेट वाहनों से टोकन टैक्स की अवसूली/कम-वसूली	306	0.13
6	अन्य राज्यों से स्थानांतरित वाहनों पर पंजीकरण फीस तथा टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली	195	0.08
7	विविध अनियमितताएं	1,905	2.14
योग		**2,957**	**4.91**
ख: आबकारी एवं कराधान विभाग (माल एवं यात्रियों पर कर)			
1	सहकारी परिवहन समितियों से यात्री कर की अवसूली/कम वसूली	01	2.56
2	सहकारी समितियों/शैक्षणिक संस्थाओं के बस मालिकों से यात्री कर की अवसूली	374	1.28
3	माल कर की अवसूली	1,240	0.62
4	विविध अनियमितताएं	244	0.16
योग		**1,859**	**4.62**
कुल योग		**4,816**	**9.53**

वर्ष 2012-13 में विभाग ने 1,223 मामलों में ₹ 1.09 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से 1,219 मामलों में आवेष्टित ₹ 108.64 लाख वर्ष 2012-13 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने वर्ष 2012-13 में 100 मामलों में ₹ 10.54 लाख वसूल किए जिनमें से 96 मामलों में आवेष्टित ₹ 9.96 लाख वर्ष 2012-13 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे। इस अध्याय में ₹ 1.33 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाली ''मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियां'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 2.56 करोड़ से आवेष्टित व्याख्यात्मक मामले अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं।

5.2 मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियां

5.2.1 विशिष्टताएं

- वाहनों के पंजीकरण हेतु आवेदन 21 दिनों के विलंब के पश्चात् फाइल किए गए थे, विभाग द्वारा 650 एकबारगी कर भुगतान किए गए मामलों में देय पेनल्टी नहीं लगाई गई थी परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.2.9)

- विभाग 569 वाहनों के संबंध में प्राईवेट/माल वाहनों से ₹ 35.24 लाख की राशि का टोकन टैक्स वसूल करने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 5.2.11.1 तथा 5.2.11.2)

- कैशबुक के अनुचित रख-रखाव तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अपर्याप्तता के कारण ₹ 5.32 लाख का गबन हुआ।

(अनुच्छेद 5.2.12.1)

- विभाग 242 मामलों में आउटआफ टर्न पंजीकरण नंबरों के आबंटन के संबंध में ₹ 24.20 लाख की अतिरिक्त फीस वसूल करने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 5.2.16)

- परिवहन वाहनों के रूप में छः व्यक्तियों से अधिक ले जाने के लिए डिजाइन किए गए वाहनों का पंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप 35 मामलों में परमिट फीस के अतिरिक्त ₹ 10.68 लाख के टोकन कर की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 5.2.18)

- विभाग अन्य राज्यों से स्थानान्तरित 425 वाहनों के संबंध में नए रजिस्ट्रेशन मार्क न देने के कारण ₹ 9.07 लाख की राशि का पंजीकरण फीस तथा टोकन टैक्स वसूल करने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 5.2.19)

5.2.2 प्रस्तावना

मोटर वाहनों का पंजीकरण, परमिटों का निर्गम, ड्राईविंग लाईसैंसों का निर्गम, टोकन कर, परमिट फीस, लाईसैंस फीस इत्यादि के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एम.वी. अधिनियम), केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993, हरियाणा राज्य में यथा लागू पी.एम.वी.टी. अधिनियम और पी.एम.वी.टी. नियम, 1925 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होते हैं। एम.वी. अधिनियम, राज्य सरकारों को दक्ष सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करने, वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसैंसों के निर्गम, सड़क परमिट, वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट तथा पथ करों के संग्रहण की जिम्मेवारी प्रदान करता है। मोटर वाहनों से प्रमुख प्राप्तियों में मोटर वाहनों पर कर, पंजीकरण, ड्राईविंग लाईसैंस, रोड़ परमिट इत्यादि के निर्गम हेतु फीस शामिल है। गुडस कैरिज, स्टेज कैरिज, कांट्रैक्ट कैरिज, तथा प्राइवेट सेवा वाहनों के संबंध में रोड़ परमिट जारी किए जाते हैं।

परिवहन विभाग, हरियाणा के दो विंग अर्थात् परिचालनात्मक विंग तथा विनियामक विंग हैं। परिचालनात्मक विंग, हरियाणा परिवहन के परिचालन की देख-रेख करता है तथा राज्य के

भीतर एवं पड़ोसी राज्यों में महत्वपूर्ण स्थानों को अनिवार्य सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। विनियामक विंग, मोटर वाहन अधिनियम/नियमों के कार्यान्वयन की देखभाल करता है तथा परिवहन एवं अन्य सड़क सुरक्षा मामलों इत्यादि के विनियमन हेतु उत्तरदायी है।

5.2.3 संगठनात्मक ढांचा

सरकारी स्तर पर प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, नीतियों, कार्यक्रमों के सूत्रपात तथा विभाग द्वारा उनके कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं। विभागीय स्तर पर परिवहन आयुक्त (टी.सी.) सभी नीति मामलों और अधिनियमों एवं नियमों के प्रबंध से संव्यवहार करता है तथा उसकी सहायता के लिए दो अतिरिक्त/संयुक्त परिवहन आयुक्त होते हैं जो मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों पर समग्र कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आर.टी.एज) मुख्यत: परिवहन वाहनों के संबंध में एम.वी. अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के प्रवर्तन हेतु उत्तरदायी हैं। 21 जिला कार्यालय हैं, जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता सचिव, आर.टी.ए. द्वारा की जाती है, जो परिवहन वाहनों का पंजीकरण करते हैं तथा ऐसे वाहनों के संबंध में नियमित ड्राईविंग लाईसैंस जारी करते हैं।

राज्य में 58 उप-मंडल अधिकारी {एस.डी.ओज (सिविल)} निजी प्रयोग (गैर-परिवहन) हेतु वाहनों का पंजीकरण करने तथा ऐसे वाहनों के संबंध में लर्नर/नियमित ड्राईविंग लाईसैंस तथा कंडक्टर लाइसैंस भी जारी करने हेतु पंजीकरण तथा लाईसैसिंग प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किए गए हैं। वाणिज्यिक वाहनों को परमिट जारी करने, ड्राईविंग लाईसैंस जारी करने, वाहनों के पंजीकरण, करों के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिए आर.टी.ए. उत्तरदायी है। इनफोर्समैंट विंग मुख्यत: यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि जिस वाहन के कर का भुगतान नहीं किया गया है, वह सड़क पर नहीं चलाया जा रहा है।

5.2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने यह सुनिश्चित करने के विचार से निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की कि क्या:

- मोटर वाहनों का पंजीकरण तथा ड्राइविंग लाइसैंसों का निर्गम, अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया था;
- करों का समय पर संग्रहण तथा खजानों/बैंकों में उनका प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त एवं प्रभावी प्रणाली विद्यमान है; तथा
- प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तथा मानीटरिंग यंत्रावली विद्यमान थी तथा करों एवं फीसों का समयबद्ध निर्धारण एवं वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।

5.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा पद्धति

राज्य में परिवहन विभाग के 21 जिलों में से सात तथा परिवहन आयुक्त के कार्यालय में 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के मोटर वाहनों के पंजीकरण, विभिन्न लेखाओं पर फीस के संग्रहण तथा ड्राईविंग लाईसैंस जारी करने से संबंधित अभिलेखों की अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य नमूना-जांच की गई थी। हमने आकार (प्रतिस्थापन के बिना) पद्धति

से संबंधित आनुपातिक फार्मूला लागू कर रैंडम सैंपल चयन आधार पर चार जिला[1] कार्यालय, जोखिम विश्लेषण आधार पर फरीदाबाद एवं गुड़गांव जिला तथा अगस्त 2012 में एंट्री कांफ्रैंस के दौरान विभाग द्वारा दिए गए सुझावों पर मोहिन्दरगढ़ जिले का चयन किया। हमने 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि हेतु विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए समान प्रकृति के बिंदु भी शामिल किए हैं।

5.2.6 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988, मोटर वाहन नियम, 1989;
- पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 (पी.एम.वी.टी. अधिनियम);
- हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब मोटर वाहन नियम, 1940;
- हरियाणा मोटर वाहन अधिनियम, 1991;
- हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993;
- एम.वी. कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के संबंध में जारी विभागीय अधिसूचनाएं एवं परिपत्र; तथा
- विभाग द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेश।

5.2.7 आभारोक्ति

लेखापरीक्षा को सरल बनाने के लिए विभाग द्वारा आवश्यक सूचना और अभिलेख प्रदान करने में दिए गए सहयोग के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। हमने एक एंट्री कांफ्रैंस (अगस्त 2012) आयोजित की जिसमें अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार और अन्य अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया जहां पर लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यप्रणाली और जिलों के चयन का वर्णन किया गया। जिलों का चयन तथा लेखापरीक्षा करते समय विभाग के सुझाव भी ध्यान में रखे गए। एक एग्जिट कांफ्रैंस प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार (परिवहन विभाग) और अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित की गई (नवंबर 2013) जहां निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों पर चर्चा की गई। एग्जिट कांफ्रैंस और अन्य समयों के दौरान विभाग/सरकार के प्रस्तुत उत्तर और विचार निष्पादन लेखापरीक्षा में सही ढ़ंग से सम्मिलित किए गए।

5.2.8 प्राप्तियों की प्रवृति

राज्य में कुल कर/कर-भिन्न प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान बजट अनुमान (बी.ई.ज) तथा वास्तविक प्राप्तियां **तालिका 5.2** में दर्शाई गई है।

---

1 अंबाला, हिसार, पानीपत तथा सिरसा।

तालिका 5.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पी.जी.टी. के संग्रहण के बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता आधिक्य (+)/ कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर/ कर-भिन्न प्राप्तियां	कुल कर/ कर-भिन्न प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता
2007-08	275.00	233.79	(-) 41.21	(-) 15	16,714.90	1
2008-09	275.00	239.30	(-) 35.70	(-) 13	14,893.73	2
2009-10	375.00	277.07	(-) 97.93	(-) 26	15,960.90	2
2010-11	350.00	457.36	(+) 107.36	(+) 31	20,211.31	2
2011-12	515.00	740.15	(+) 225.16	(+) 44	25,121.11	3

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2007-08 से 2009-10 तक के वर्षों के दौरान बजट अनुमानों के संदर्भ में प्राप्तियों की 13 तथा 26 प्रतिशत के मध्य घटती प्रवृत्ति थी तथा उसके बाद 2010-11 तथा 2011-12 में 31 तथा 44 प्रतिशत के मध्य बढ़ती प्रवृत्ति थी। विभाग ने घटती प्रवृत्ति के लिए बाजार में मंदी तथा इनफोर्समेंट स्टाफ की तैनाती न करने तथा पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतर लक्ष्य नियत करने के कारणों को जिम्मेवार ठहराया (जून 2013)। उत्तर तर्कसंगत प्रमाण पर आधारित नहीं था क्योंकि वाहनों के पंजीकरण की संख्या 2007-08 में 4,23,238 से बढ़कर 2009-10 में 4,68,265 हो गई। इसने इंगित किया कि बजट अनुमान वास्तविक नहीं थे।

आडिट फाइंडिंग

5.2.9 संशोधित पेनल्टी दरों के कार्यान्वयन में विलंब

एम.वी. अधिनियम के सैक्शन 41 (11) में इसके साथ-साथ प्रावधान है कि यदि वाहन का मालिक वाहन के क्रय की तारीख से एक माह के भीतर अपने वाहन के पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्राधिकारी (आर.ए.) के पास आवेदन करने में विफल रहता है तो अधिनियम के सैक्शन-177 के अंतर्गत अधिकतम ₹ 100 की पेनल्टी उद्गृहीत की जाएगी। आगे, विभाग ने अधिसूचित किया (12 जुलाई 2011) है कि यदि वाहन के क्रय से 21 दिनों के भीतर वाहन का पंजीकरण नहीं करवाया जाता है तो एकमुश्त एकबारगी भुगतान योग्य कर के 0.5 प्रतिशत की दर पर प्रतिदिन आधार पर पेनल्टी प्रभारित की जाएगी।

आर.टी.ए. के पांच कार्यालयों[2] तथा आर.ए. के सोलह कार्यालयों[3] में वाहनों के पंजीकरण हेतु 650 एकबारगी कर भुगतान मामलों के आवेदन 21 दिनों के पश्चात् फाइल किए गए थे। इन मामलों में देय पेनल्टी आर.ए./आर.टी.ए. द्वारा नहीं लगाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 12 फरवरी 2013 के निर्णय में स्पष्टीकरण दिया है कि पेनल्टी लगाना लाईसैंसिंग अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है। अत: लाईसैंसिंग अधिकारी कम पेनल्टी भी लगा सकता है। उत्तर सही नहीं था क्योंकि लाईसैंसिंग अधिकारियों ने कोई पेनल्टी नहीं लगाई थी।

---

2 अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार तथा पानीपत।

3 अंबाला, बराड़ा, बल्लभगढ़, डबवाली, ऐलनाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव (दक्षिण), हांसी, हिसार, मोहिन्द्रगढ़, नारनौल, नारायणगढ़, पटौदी, पानीपत, समालखा तथा सिरसा।

5.2.10 वाहनों की ओवर लोडिंग पर पेनल्टी का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

एम.वी. अधिनियम का सैक्शन 194 प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति, जो एम.वी. अधिनियम के सैक्शन 113 के अंतर्गत वाहनों के प्रमाण-पत्र/पंजीकरण में विनिर्दिष्ट भार/कुल वाहन भार से अधिक माल वाला मोटर वाहन चलाता है तो वह ₹ 2,000 के न्यूनतम जुर्माने का भुगतान करने तथा अतिरिक्त भार की आफ लोडिंग हेतु प्रभारों का भुगतान करने की देयता के साथ अतिरिक्त भार के लिए ₹ 1,000 प्रति टन की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

सचिव, आर.टी.ए. के पांच कार्यालयों[4] तथा एस.टी.सी., हरियाणा के कार्यालय में 187 वाहन अनुमत्य भार से अधिक माल ढोते पाए गए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 29.50 लाख की पेनल्टी के अनुद्ग्रहण के कारण राजस्व की हानि हुई। अंबाला के मामले में रजिस्टर उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे।

सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 9.87 लाख की राशि वसूल की गई थी तथा ₹ 19.63 लाख की शेष राशि वसूल करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निदेश दिए गए हैं।

5.2.11 प्राइवेट/माल वाहनों से टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली

5.2.11.1 हरियाणा सरकार ने वाहनों के मूल्य के आधार पर 13 जनवरी 2011 से टोकन टैक्स की वृद्धि अधिसूचित की, जो **तालिका 5.3** में दिए गए हैं।

तालिका 5.3

ए-मूल्य के दोपहिया की श्रेणी	वाहन के मूल्य पर टोकन टैक्स की दर (प्रतिशत में)	बी-मूल्य की कारों की श्रेणी	वाहन के मूल्य पर टोकन टैक्स की दर (प्रतिशत में)
₹ 60,000 तक	2	₹ 5 लाख तक	2
₹ 60,000 से अधिक तथा ₹ 4 लाख तक	4	₹ 5 लाख से अधिक तथा ₹ 10 लाख तक	4
₹ 4 लाख से अधिक	6	₹ 10 लाख से अधिक तथा ₹ 20 लाख तक	6
		₹ 20 लाख से अधिक	8

आर.ए. के छ: कार्यालयों[5] में 378 वाहन नई दरों की बजाए पुरानी दरों पर पंजीकृत किए गए थे परिणामस्वरूप 2010-11 तथा 2011-12 के वर्षों के लिए ₹ 18.29 लाख के राजस्व की हानि हुई।

5.2.11.2 आगे, हरियाणा सरकार ने माल वाहनों के संबंध में इनके भार के आधार पर 18 जनवरी 2006 से वार्षिक टोकन टैक्स[6] की नियत दर अधिसूचित की।

4 अंबाला, गुड़गांव, हिसार, नारनौल तथा पानीपत।

5 हिसार, मोहिन्द्रगढ़, नारनौल, पटौदी, समालखा तथा सिरसा।

सचिव, आर.टी.ए. के चार कार्यालयों[7] में 191 माल वाहनों के संबंध में ₹ 16.95 लाख की राशि का टोकन टैक्स 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के लिए वसूल नहीं किया गया था।

सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 1.10 लाख की राशि वसूल की गई थी तथा ₹ 34.14 लाख की शेष राशि वसूल करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निदेश दिए गए थे।

5.2.12 सरकारी राजस्व को देरी से जमा करने पर ब्याज की हानि/देरी से जमा करवाना तथा डी.सी.आर./सी.टी.आर. रजिस्टर का सत्यापन/प्रमाणीकरण न करना

हरियाणा सरकार द्वारा यथा अपनाए गए पंजाब वित्तीय नियम (पी.एफ.आर.) के नियम 2.2 तथा 2.7 द्वारा अपेक्षा की जाती है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) द्वारा स्वयं को संतुष्ट करने हेतु कि सभी धन संबंधी संपादन, जैसे ही वे किए जाते हैं, कैशबुक में प्रविष्ट किए जाते हैं तथा उसके द्वारा सत्यापित किए जाते हैं। तत्रैव नियम 2.7 प्रावधान करता है कि कर्मचारी, जो कैशबुक का प्रभारी नहीं है, सरकार की ओर से धन प्राप्त करता है, द्वारा राशि उसी दिन अथवा अगले दिन प्रात: कोषालय/बैंक में जमा करवाई जानी अपेक्षित है। नियम 2.2 (iii) के अंतर्गत कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भी, कैशबुक में सभी प्रविष्टियों के योगों सहित सभी प्रविष्टियां सत्यापित की जानी अथवा इसे कैशबुक लिखने वाले से अन्य किसी जिम्मेवार अधिकारी से करवायी जानी तथा सभी प्रविष्टियों को परिशुद्ध के रूप में आद्याक्षर किए जाने अपेक्षित हैं।

5.2.12.1 आर.ए., डबवाली, नारनौल तथा सिरसा के कार्यालयों के वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के डी.सी.आर./समेकित खजाना प्राप्ति रजिस्टर (सी.टी.आर.), रसीद बुकों तथा आर.सी. रजिस्टरों की दिसंबर 2012 में जांच ने दर्शाया कि आर.सी. फीस/टोकन टैक्स इत्यादि के कारण प्राप्त की गई ₹ 5.32 लाख (आर.ए. सिरसा: ₹ 4.57 लाख; आर.ए. डबवाली: ₹ 57,100 तथा आर.ए. नारनौल: ₹ 17,595) की राशि नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित खजानों में जमा नहीं करवाई गई थी। नारनौल के मामले में मुख्यालय से रसीद बुक जारी की गई थी जो डी.सी.आर. में दर्ज नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11,655 का कम परिकलन हुआ। आर.ए. डबवाली ने मार्च 2012 में ₹ 73,585 प्राप्त किए जिनमें से केवल ₹ 16,485 खजाने में जमा करवाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 57,100 कम जमा करवाए गए।

सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 69,000 की राशि वसूल की गई थी तथा शेष राशि वसूल करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निदेश दिए गए हैं।

---

6 1.2 टन तक: ₹ 300; 1.2 टन से अधिक तथा 6 टन तक: ₹ 1,200; 6 टन से अधिक तथा 16.2 टन तक: ₹ 2,400; 16.2 टन से अधिक तथा 25 टन तक: ₹ 3,500 तथा 25 टन से अधिक: ₹ 4,500.

7 अंबाला, नारनौल, पानीपत तथा सिरसा।

5.2.12.2 आर.ए., बल्लभगढ़, नारनौल के कार्यालयों तथा सचिव, आर.टी.ए. अंबाला के कार्यालय के 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि के डी.सी.आर. तथा सी.टी.आर. रजिस्टरों की जांच ने दर्शाया कि ₹ 17.22 लाख प्रतिदिन की अधिकतम राशि से आवेष्टित पंजीकरण फीस तथा टोकन टैक्सों के कारण दैनिक प्राप्तियां तीन से छ: दिनों तक श्रृंखलित विलंब से जमा करवाई गई थी। तथापि, विलंबित जमा के कारण कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया गया था। आगे, आर.ए. ऐलनाबाद, मोहिन्द्रगढ़ तथा सिरसा के कार्यालय में 2010-11 तथा 2011-12 के वर्षो के लिए हमने देखा कि दैनिक प्राप्तियां चार से 777 दिनों के मध्य श्रृंखलित विलंब से जमा करवाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.40 लाख के ब्याज की हानि हुई।

सरकार ने नवंबर 2013 में आयोजित एग्जिट काफ्रेंस के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा आश्वासन दिया कि नियमानुसार राशि जमा करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निदेश जारी किए जाएंगे।

5.2.12.3 परिवहन आयुक्त, हरियाणा, सचिव, आर.टी.ए., अंबाला तथा आर.ए. (एम.वी.) फरीदाबाद के कार्यालयों में 2010-11 तथा 2011-12 के वर्षो के लिए जुलाई 2012 में डी.सी.आर. की जांच ने दर्शाया कि डी.सी.आर. सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था, न ही डी.सी.आरज के योगों की जांच कैशबुक के राईटर से अन्य कर्मचारी द्वारा की गई थी। आर.ए./आर.टी.एज कोडल प्रावधानों का अनुसरण नहीं कर रहे थे।

5.2.12.4 पंजाब वित्तीय नियमों के नियम 2.2 (v) के अनुसार जब किसी सरकारी अधिकारी की अभिरक्षा में सरकारी धन खजाने या बैंक में जमा करवाया जाता है तो भुगतान करने वाले कार्यालय के प्रमुख को इसका सत्यापन करने से पहले कैशबुक में एंट्री के साथ चालान अथवा उसकी पासबुक पर खजाना अधिकारी के/बैंक की प्रति की तुलना करनी चाहिए तथा स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि राशियां प्रत्येक माह की 15 तारीख तक खजाने/बैंक में वास्तव में जमा करवा दी गई हैं। उसे पिछले माह के दौरान किए गए सभी प्रेषणों की समेकित प्राप्ति खजाने से प्राप्त करनी चाहिए जिसकी तुलना कैशबुक में पोस्टिंग से की जानी चाहिए।

आर.ए. फरीदाबाद, नारनौल तथा आर.टी.ए. फरीदाबाद के वर्ष 2011-12 के समेकित खजाना प्राप्ति रजिस्टर की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि सी.टी.आर. रजिस्टरों का संबंधित खजाना कार्यालयों द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था।

5.2.13 एम.वी. नियमों का अननुपालन

एम.वी. अधिनियम के सैक्शन 41 (1) तथा (2) के अनुसार पंजीकरण हेतु मोटर वाहन के मालिक द्वारा अथवा उसकी ओर से आवेदन ऐसे रूप में किया जाएगा तथा ऐसे दस्तावेजों, विवरणों तथा सूचना द्वारा समर्थित होगा तथा ऐसी फीस द्वारा समर्थित होगा जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। आगे टी.सी., हरियाणा सरकार ने मार्च 2009 में सभी आर.एज को निदेश जारी किए कि यदि किसी वाहन का मालिक टर्न के अनुसार अपने वाहन का पंजीकरण करवाना चाहता है तो उसे सबसे पहले पंजीकरण नंबर आबंटित किया जाएगा तथा उसके बाद कथित पंजीकरण नंबर में दर्शाए गए इंजिन तथा चेसिस नंबरों पर आर.सी. फीस प्रभारित की जाएगी।

आर.ए. पानीपत के आर.सी. रजिस्टर, रसीद बुकों तथा संबंधित फाईलों की वर्ष 2011-12 के लिए फरवरी 2013 में जांच के दौरान हमने देखा कि 15 वाहनों में आर.सी. फीस तथा टोकन टैक्स की प्राप्ति पहले प्रभारित की गई थी तथा आउट आफ टर्न पसंदीदा नंबरों के लिए फाईल रोकी गई थी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबरों का आबंटन 39 से 99 दिनों तक श्रृंखलित बिलंब के पश्चात किया गया था। ऐसा करके वाहन मालिकों ने डीलिंग कर्मचारियों की सहमति से उनके अपने पसंदीदा रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त किए इसके परिणामस्वरूप वाहन के मालिक को पसंदीदा नंबर देने हेतु अतिरिक्त फीस के अप्रभारण के रूप में राज्य सरकार को न केवल हानि हुई अपितु आर.सी. मामलों के अंतिमकरण में बिलंब भी हुआ।

5.2.14 चिकित्सा प्रमाण-पत्र/लर्नर्ज लाईसेंस/जन्म प्रमाण-पत्र के प्रमाण के बिना ड्राईविंग लाईसेंस जारी करना

एम.वी. अधिनियम के सैक्शन 3 के अंतर्गत 23 जून 2006 को परिवहन विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नियमित ड्राईविंग लाईसेंस से पहले लर्नर्ज लाईसेंस जारी करना अनिवार्य है जो छ: माह तक वैध है। लर्नर्ज लाईसेंस जारी करने के एक माह बाद नियमित ड्राईविंग लाईसेंस जारी किया जा सकता है। आगे, आर.ए. से अपेक्षित है कि वह आवेदक से चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त करे।

5.2.14.1 आर.ए. समालखा में 2010-11 तथा 2011-12 तक के वर्षों के लिए लर्नर्ज लाईसेंस जारी किए बिना 15 नियमित लाईसेंस जारी किए गए थे।

5.2.14.2 आर.ए. (एम.वी.) के चार कार्यालयों[8] में 2010-11 तथा 2011-12 तक के वर्षों के लिए 90 ड्राईविंग लाईसेंस चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना जारी किए गए थे।

5.2.14.3 आर.ए. फरीदाबाद में 2011-12 की अवधि हेतु आठ मामलों में जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे।

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2013) सरकार ने एग्जिट कांफ्रैंस (नवंबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5.2.15 विनियामक नियंत्रणों का अननुपालन

स्कीम के प्रावधानों के अनुसार परमिटधारक परिवहन सरकारी समितियों से संबंधित प्राधिकारियों को समितियों द्वारा लगाए गए ड्राईवरों/कंडक्टरों के विवरण उनकी पहचान स्थापित करने के लिए उपयुक्त फोटोग्राफ सहित तथा फायर एक्सटिंग्यूसरों एवं स्पीड गवर्नरस इत्यादि सहित निर्धारित रिर्टनें/सांख्यिकीय एवं अन्य सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से बसों के परिचालन सुनिश्चित करने के लिए आर.टी.एज द्वारा सहकारी बसों की तिमाही भौतिक जांच भी अपेक्षित है।

---

8 बल्लभगढ़, फरीदाबाद, नारायणगढ़ तथा समालखा।

दस आर.टी.एज में 533 समिति बसों के लिए लगाए गए ड्राईवरों एवं कंडक्टरों, फायर सेफ्टी गैजेटस तथा स्पीड गवर्नरस के स्थापन से संबंधित कोई अभिलेख नहीं रखे गए थे। इसके अतिरिक्त संबंधित आर.टी.एज द्वारा बसों की तिमाही जांच नहीं की गई थी।

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2013) सरकार ने एग्जिट कांफ्रैंस (नवंबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5.2.16 पंजीकरण नंबरों के आउट आफ टर्न आबंटन के कारण अतिरिक्त फीस की अवसूली

हरियाणा सरकार की दिनांक 27 नवंबर 2008 की अधिसूचना प्रावधान करती है कि स्पेशल नंबरों के आउट आफ टर्न आबंटन हेतु विकल्प चुनने वाला कोई व्यक्ति ₹ 10,000 की अतिरिक्त फीस का भुगतान करेगा।

पांच आर.एज[9] तथा आर.टी.एज गुड़गांव तथा हिसार में वर्ष 2011-12 के लिए 242 मामलों में आउट आफ टर्न रजिस्ट्रेशन नंबर आबंटित किए गए थे किंतु इन वाहन मालिकों से कोई अतिरिक्त फीस प्रभारित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.20 लाख के राजस्व की हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2013) सरकार ने एग्जिट कांफ्रैंस (नवंबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 3.30 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा आश्वासन दिया कि ₹ 20.90 लाख की शेष राशि वसूल करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5.2.17 पसंदीदा पंजीकरण मार्क की छूट/गैर-सरकारी प्राधिकरणों के संबंध में पसंदीदा नंबर के आबंटन के कारण अतिरिक्त फीस की अवसूली

एम.वी. अधिनियम के सैक्शन 65 के अंतर्गत दिसंबर 2005 तथा नवंबर 2008 में संशोधित अधिसूचना तथा उसके अधीन बनाए गए हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के अनुसार आर.ए. गैर-परिवहन[10] वाहन के मालिक को निर्धारित अतिरिक्त फीस के भुगतान पर उसकी पसंद का पंजीकरण मार्क आबंटित करेगा। तथापि, यदि स्पेशल नंबर रजिस्ट्रेशन मार्क वाला मोटर वाहन किसी अन्य व्यक्ति के नाम में हस्तांतरित किया जा रहा है तो वही निर्धारित अतिरिक्त फीस के भुगतान पर आर.ए. द्वारा अनुमत किया जाएगा।

5.2.17.1 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के लिए 24 मामलों में मोटर वाहनों को अतिरिक्त फीस प्रभारित किए बिना पसंदीदा पंजीकरण मार्क आबंटित किए गए थे परिणामस्वरूप ₹ 14.25 लाख की अतिरिक्त फीस की वसूली नहीं हुई।

---

9 बरवाला, गुड़गांव (पश्चिम), हिसार, मोहिन्द्रगढ़ तथा पानीपत।

10 गैर-परिवहन वाहन से तात्पर्य किसी व्यक्ति के नाम में पंजीकृत तथा उसके द्वारा निजी प्रयोजनों के लिए पूर्णतया उपयोग किए जाने के लिए घोषित प्राइवेट सेवा वाहन से है।

5.2.17.2 आर.एज (एम.वीज) के पांच कार्यालयों[11] तथा सचिव, आर.टी.एज के हिसार, नारनौल तथा सिरसा कार्यालयों में 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के लिए पसंदीदा पंजीकरण मार्क वाले 29 मोटर वाहन अतिरिक्त फीस प्रभारित किए बिना 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के दौरान अन्य व्यक्तियों के नाम में हस्तांतरित किए गए थे परिणामस्वरूप ₹ 4.70 लाख के राजस्व की हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2013) सरकार ने एग्जिट कांफ्रैंस (नवंबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 70,000 की राशि वसूल कर ली गई थी तथा आश्वासन दिया कि ₹ 18.25 लाख की शेष राशि वसूल करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5.2.18 टोकन टैक्स की कम वसूली

परिवहन आयुक्त, हरियाणा ने मई 2000 में अनुदेश जारी किए कि ड्राईवर के अलावा छः यात्रियों से अधिक को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए वाहनों को कंपनी/फर्म के नाम में परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत किया जाएगा तथा परमिट फीस प्रभारित करने के अतिरिक्त ₹ 400 प्रति सीट प्रति वर्ष की दर पर रोड़ टैक्स का भुगतान किया जाएगा।

सचिव, आर.टी.ए. के चार कार्यालयों[12] में 2010-11 तथा 2011-12 तक के वर्षों के लिए छः व्यक्तियों से अधिक सीटिंग क्षमता वाले 35 प्राइवेट सेवा (गैर-परिवहन) वाहन कंपनियों/फर्मों के नाम में पंजीकृत किए गए थे तथा ₹ 400 प्रति सीट प्रति वर्ष की दर पर ₹ 15.54 लाख प्रभारित करने की बजाय ₹ 4.86 लाख की राशि का एकमुश्त/एकबारगी टोकन टैक्स अनियमित रूप से आर.एज (एम.वीज) द्वारा प्रभारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप परमिट फीस के अतिरिक्त ₹ 10.68 लाख के टोकन टैक्स की कम वसूली हुई।

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2013) सरकार ने एग्जिट कांफ्रैंस (नवंबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 33,000 की राशि वसूल कर ली गई थी तथा आश्वासन दिया कि ₹ 10.35 लाख की शेष राशि वसूल करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5.2.19 अन्य राज्यों से लाए गए वाहनों को नए पंजीकरण नंबर प्रदान न करना

एम.वी. अधिनियम के नियम 47 तथा परिवहन विभाग की जुलाई 2005 की अधिसूचना के अंतर्गत यदि एक राज्य में पंजीकृत मोटर वाहन बारह माह से अधिक अवधि के लिए किसी अन्य राज्य में रखा जाता है तो वाहन का मालिक ऐसी अवधि के भीतर उस आर.ए. के पास आवेदन करेगा जिसके अधिकार क्षेत्र में नए पंजीकरण नंबर की प्रदानगी के लिए वाहन था तथा उस आर.ए. को पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

---

11 हिसार, मोहिन्द्रगढ़, नारायणगढ़, नारनौल तथा पानीपत।

12 अंबाला, हिसार, नारनौल तथा सिरसा।

आर.ए. के आठ कार्यालयों[13] में 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के लिए 425 वाहन अन्य राज्यों से हरियाणा में हस्तांतरित किए गए थे तथा इन वाहनों को एक से पांच वर्षों तक श्रृंखलित अवधि के लिए नए पंजीकरण मार्क प्रदान नहीं किए गए थे परिणामस्वरूप ₹ 9.07 लाख की पंजीकरण फीस तथा टोकन टैक्स की वसूली नहीं हुई।

5.2.20 लर्नर्स लाईसेंस की समाप्ति के पश्चात् ड्राईविंग लाईसेंस जारी करना तथा निर्धारित समय से परे ड्राईविंग लाईसेंसों का नवीकरण

एम.वी. अधिनियम के सैक्शन 14 (1) के अंतर्गत प्रावधान है कि लर्नर्स लाईसेंस छ: माह की अवधि के लिए प्रभावी होगा। समाप्त लर्नर्स लाईसेंस पर नियमित ड्राईविंग लाईसेंस जारी नहीं किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए नया लर्नर्स लाईसेंस जारी किया जाएगा। जून 2006 में एस.टी.सी. द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार ड्राईविंग लाईसेंस पहली बार 20 वर्षों के लिए या 50 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए जारी किया जाएगा। उसके बाद लाईसेंस का नवीकरण पांच वर्षों की अवधि हेतु किया जाएगा।

5.2.20.1 आर.एज. (एम.वी.) फरीदाबाद तथा समालखा के कार्यालयों में 26 मामलों में ड्राईविंग लाईसेंस जारी किए गए थे यद्यपि उनके तदनुरूपी लर्नर्स लाईसेंस पहले ही समाप्त हो चुके थे। इसने एम.वी. अधिनियम के प्रावधानों की अननुपालना इंगित की।

5.2.20.2 आर.ए. (एम.वी.) फरीदाबाद के कार्यालय में 77 ड्राईविंग लाईसेंस आठ से 20 वर्षों तक श्रृंखलित अवधियों के लिए नवीकृत किए गए थे।

ये मामले इंगित किए जाने पर (सितंबर 2013) सरकार ने एग्जिट कांफ्रैंस (नवंबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 5.21 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा आश्वासन दिया कि ₹ 57.69 लाख की शेष राशि वसूल करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5.2.21 आंतरिक नियंत्रण

(i) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंधन के हाथों में स्वयं को आश्वास्त करने का एक साधन है कि निर्धारित प्रणालियां अच्छे से कार्य कर रही हैं। विभाग ने जून 2013 में बताया कि उनके पास मुख्यालय पर एक लेखा अधिकारी तथा तीन अनुभाग अधिकारी (6 संस्वीकृत पदों के विरूद्ध) थे जो मोटर वाहनों पर करों के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा करते हैं।

मोटर वाहनों पर करों की प्राप्तियों की जांच के लिए विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं इत्यादि को संहिताबद्ध नहीं किया।

(ii) विभाग ने करों के संग्रहण एवं चालानों के निपटान के संबंध में स्टेटमेंटें/रिटर्नें निर्धारित की जो फील्ड कार्यालयों द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मुख्यालय कार्यालय को भेजी जानी अपेक्षित थी।

---

13 ऐलनाबाद, हांसी, हिसार, मोहिंद्रगढ़, नारायणगढ़, पानीपत, समालखा तथा सिरसा।

अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि फील्ड कार्यालयों ने परिवहन आयुक्त को नियमित रूप से मासिक रिटर्नें भेजी। ये रिटर्नें केवल संकलित की गई थी किंतु राजस्व वृद्धि के लिए करों के संग्रहण में सुधार एवं चालानों के शीघ्र निपटान पर 2007-12 के दौरान फील्ड कार्यालयों को आगे कोई अनुदेश/निदेश जारी नहीं किए गए थे। निष्पादन की समीक्षा के लिए अलग से कोई बैठक नहीं की गई थी। इस प्रकार, विभाग स्तर पर आंतरिक जांच एवं मानीटरिंग अपर्याप्त थी।

5.2.22 निष्कर्ष

'मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियों' पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने कई प्रणाली एवं अनुपालना कमियां दर्शाई। विभाग मानीटरिंग यंत्रावली की कमी के कारण कर संग्रहण करने में विफल रहा। परिवहन आयुक्त कार्यालय तथा फील्ड में आर.एज/आर.टी.एज के मध्य समन्वय की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप देरी से पंजीकरण के कारण पेनल्टी की वसूली नहीं हुई। मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तथा समेकित खजाना प्राप्तियों के रिकार्ड की मानीटरिंग की कोई प्रभावी प्रणाली नहीं थी। सहकारी बसें परमिटों के नवीकरण के बिना तथा करों के भुगतान के बिना सड़कों पर चल रहीं थी। विभाग ने अधिनियम/नियमों के प्रावधानों तथा सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुसरण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप पंजीकरण फीस एवं टोकन टैक्स के संबंध में कैश रसीदों के निर्गम के काफी समय बाद पंजीकरण मार्कों की प्रदानगी तथा टोकन टैक्स की कम प्राप्ति थी। ड्राईविंग लाईसेंस जारी करने के मामले में, कई मामलों में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने, लर्निंग लाईसेंसों की समाप्ति के पश्चात् भी तथा लर्नर्स लाईसेंस जारी किए बिना नियमित ड्राईविंग लाईसेंस जारी करने के मामले देखे गए थे।

5.2.23 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित सुझावों के कार्यान्वयन हेतु विचार कर सकती है:

- बी.ईज़ वास्तविक होने चाहिए;
- कार्यालय अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राप्तियों का गबन रोकने के लिए सभी प्राप्तियां वास्तव में खजाने में जमा करवाई जाती हैं;
- आर.एज़/आर.टी.एज़ के साथ परिवहन आयुक्त के समन्वय में सुधार करने की आवश्यकता है; तथा
- यदि अन्य राज्यों से स्थानांतरित वाहनों को बारह माह की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पंजीकृत नहीं करवाया जाता है तो पेनल्टी का प्रावधान होना चाहिए।

उपर्युक्त बिंदु सरकार के ध्यान में लाए गए थे (सितंबर 2013) तथा एग्जिट कांफ्रैंस में चर्चा की गई थी। सरकार द्वारा दिए गए उत्तर उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए थे।

5.3 सहकारी परिवहन समितियों से यात्री कर की अवसूली/कम वसूली

5.3.1 यात्री सड़क परिवहन के निजीकरण की स्कीम के अंतर्गत राज्य के लिंक रूटों पर बस चलाने वाले परमिट धारकों को 52/54 सीटों वाली बस हेतु ₹ 12,000 और 30 सीटों वाली बस के लिए ₹ 6,000 की मासिक दर पर एकमुश्त यात्री कर का भुगतान करना अपेक्षित है। चूक के मामले में अधिनियम के अन्तर्गत अधिकतम ₹ 5,000 का जुर्माना उद्ग्राहय है।

डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) के नौ कार्यालयों[14] में 503 सहकारी परिवहन समितियों में से 144[15] ने 2007-08 से 2012-13 तक के वर्षो के दौरान ₹ 2.02 करोड़ की राशि का मासिक यात्री कर पूर्ण रूप से या भाग में जमा नहीं करवाया। विभाग ने चूककर्त्ता समितियों से कर वसूल करने के लिए मांग प्रस्तुत नहीं की थी।

5.3.2 सहकारी परिवहन समितियों को यात्री कर की अदेय/अनियमित छूट

''प्राइवेट बस सर्विस स्कीम-1993 तथा 2001'' के प्रावधानों के साथ पठित (पी.पी.जी.टी.) नियमों के नियम 9 के उप-नियम 2 डी (iii) तथा हरियाणा यात्री परिवहन स्कीम, 2003 के अनुसार कि मालिक के नियंत्रण से परे कारणों के लिए 15 दिनों की नियमित अवधि से अधिक बस के अपरिचालन के मामले में तथा जहां परमिट जमा करवाया गया है, यात्री कर के भुगतान में प्रोराटा रिलीफ दिया जाएगा किंतु किसी लागू नियम के अंतर्गत बस के जब्त होने की दशा में उस अवधि के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। आगे, स्कीम 2001 की धारा 14 तथा 15 प्रावधान करती है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मरम्मत प्रयोजनों के लिए बस को निर्धारित रूट से नहीं हटाया जाएगा। यदि किसी कारणवश बस दो दिन से अधिक नहीं चलती है तो समिति के लिए किसी दूसरी बस का इंतजाम करना अनिवार्य होगा तथा उन मामलों को छोड़कर, जब बस वास्तविक मार्ग पर बाढ़ का पानी आने या उस रूट पर वाहन न चलाने के जिला प्रशासन के आदेश के कारण, बस चलाना संभव नहीं है, ऐसी अवधियों के लिए यात्री कर में कोई छूट नहीं दी जाएगी। स्कीम 2003 की धारा 14 के अनुसार ब्रेकडाउन/दुर्घटना के कारण रूट से बाहर रखी गई कोई बस यदि 30 दिनों के भीतर रूट पर वापस नहीं लगाई जाती है तो परमिट रद्द किए जाने के लिए दायी होगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण के बाद अन्य पात्र सहकारी समितियों को आबंटित कर दिया जाएगा।

डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) के पांच कार्यालयों[16] में 18 सहकारी परिवहन समितियों ने अलाभकारी रूट, समितियों के आपसी विवादों, बसों की मरम्मत/बदलाव इत्यादि जैसे कारणों, जो स्कीम के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं थे, से सात से 63 माह के मध्य श्रृंखलित अवधि के लिए उनकी बसें आबंटित लिंक रूट से बाहर रखी। संबंधित रूटों पर कोई वैकल्पिक बसें नहीं लगाई गई थी। डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) ने उर्पुक्त कथित कारणों की जांच नहीं की तथा ₹ 54.14 लाख की राशि के यात्री कर की अदेय छूट अनुमत की।

---

14 भिवानी, फतेहाबाद, जींद, करनाल, कैथल, नारनौल, पलवल, रोहतक तथा सिरसा।

15 डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.): भिवानी: 14; फतेहाबाद: 31; जींद: 20; करनाल: 6; कैथल: 21; नारनौल: 2; पलवल: 7; रोहतक: 13 तथा सिरसा: 30.

16 फतेहाबाद, जींद, कैथल, रोहतक तथा सिरसा।

5.3.3 अपंजीकृत बसें चला रही सहकारी परिवहन समितियां

पंजाब पी.पी.जी.टी. अधिनियम का सैक्शन-8 प्रावधान करता है कि मोटर वाहन का कोई मालिक तब तक हरियाणा राज्य क्षेत्र से यात्री अथवा माल नहीं ले जाएगा जब तक वह पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं करता। आगे, अधिनियम का सैक्शन-9 (4) प्रावधान करता है कि यदि निर्धारित प्राधिकारी संतुष्ट है कि कोई मालिक अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत कर भुगतान करने के लिए दायी है किंतु वह पंजीकरण आवेदन करने अथवा कर का भुगतान करने में जानबूझ कर विफल हुआ है अथवा जहां ऐसे प्राधिकारी को इस बात का विश्वास है कि देय कर का भुगतान ठीक ढंग से नहीं किया गया है तो उपर्युक्त प्राधिकारी मालिक को सुनवाई का उपयुक्त अवसर देते हुए कर की राशि का निर्धारण, यदि मालिक से कोई देय है, करेगा तथा मालिक को ऐसे निर्धारित कर की अधिकतम पांच गुणा राशि का पेनल्टी के जरिये भुगतान करने का निर्देश भी देगा।

डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.), भिवानी के कार्यालय में तीन सहकारी परिवहन समितियों को आर.टी.ए. भिवानी के कार्यालय द्वारा लिंक रूटों पर बसें चलाने के लिए परमिट अनुमत किए गए थे। किंतु ये बसें पी.पी.जी.टी. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं थी। इन बसों का पंजीकरण करने के लिए न तो कोई कार्रवाई आरंभ की गई थी और न ही संबंधित सहकारी समितियों की ओर देय कर का कोई निर्धारण डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) द्वारा किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.20 लाख की राशि के राजस्व की हानि हुई।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2013) सरकार ने एग्जिट कांफ्रैंस (नवंबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 88.45 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 1.67 करोड़ की शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।